12.6.2017

पत्रावली कोर्ट कैम्प सांगवा [illegible] पर पेश। प्रतिवादी सं. 1 व 2 भैरू सिंह उपस्थित। दावा के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम आवाखेड़ी प.ह. तिलोली के आराजी नम्बर 201, 202, 203, 384/201 385/203 किता 05 कुल रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा खातेदारी [illegible] वादी की दर्ज है उक्त आराजियात की पैमाइश कराई गई। तब जानकारी में आया की आराजी नम्बर 203 की दक्षिणी मेड के सहारे-सहारे पड़ोसी खातेदार प्रति. सं. 1 से 3 द्वारा वादी की 03 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर रखा है एवं आराजी नम्बर 385/203 में प्रतिवादी सं. 04 द्वारा 3 बिस्वा पर कब्जा कर रखा है अतः प्रतिवादी सं. 1 से 4 का कब्जा हटाया जाकर वादी को दिया जावे।

पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम आवाखेड़ी तिलोली के आ.नं. 203 की दक्षिणी मेड के सहारे-सहारे प्रतिवादी सं. 1 से 3 एवं आ.नं. 385/203 पर प्रतिवादी सं. 04 द्वारा वादी की भूमि पर 3+3 कुल 6 बिस्वा पर अतिक्रमण कर रखा है अतः प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाकर वादी को कब्जा दिया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

कोर्ट कैम्प सांगवा पर दिनांक 12.7.2017 को खुले आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नामवर रिकार्ड हो।

[signature]

सहायक कलक्टर
[illegible]

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भीलवाड़ा

कोर्ट केस संख्या

पीठासीन अधिकारी:– श्रीमति रेनु मीना आर0ए0एस0

उनवान

श्री रोडसिंह पिता नाथुसिंह राजपूत नि. आकारखेड़ी — वादी

बनाम

बालुसिंह पिता गोपालसिंह राजपूत — " —

भिखुसिंह पिता — " —

महेन्द्रसिंह पिता — " —

भैरु पिता मोहन खटीक — " —

तहसीलदार भीलवाड़ा — प्रतिवादीगण

दावा बाबत– 183 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 6/16
निर्णय दिनांक :– 12.7.17

वादी की ओर से — की व प्रतिवादी की ओर से उप. 1, 2 उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.7.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेणु मीना) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम आकारखेड़ी तिलोली के, आ.नं. 203 की दक्षिणी मेड के सहारे-सहारे प्रतिवादी सं. 1 व 3 एवं आ.नं. 385/203 पर प्रतिवादी सं 04 द्वारा वादी की भूमि पर 3+3 कुल 6 बिस्वा पर अतिक्रमण कर रखा है। अत: प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाकर वादी को कब्जा दिया जावे।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगें।

यह आज तारीख 12.7.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलेक्टर
फास्ट ट्रेक भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner